

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक -5830 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 30-6-2022.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद बागेश्वर में जिला योजना अन्तर्गत काण्डा मन्तोली का विस्तार तल्ला तिपोला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 2.413 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/35046/2018।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक 120 / FP/UK/ROAD/35046/2018 दिनांक 12.05.2022

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में आपके संदर्भित पत्र द्वारा लगाई गयी आपत्ति का निराकरण कर प्रतिउत्तर जो प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर के पत्रांक 4392/12-1 (2) दिनांक 12.05.2022 द्वारा प्राप्त हुआ है। कि तीन हॉर्ड कॉपियां बन्द लिफॉफे में प्रेषित की जा रही है। प्रस्ताव ऑन लाईन से प्रेषित करने की कार्यवाही पृथक से की जा रही है।

संलग्न- 03 हार्ड कॉपियां।

भवदीय



(कुबेर सिंह बिष्ट)

वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email-dfobag-forest-uk.nic.in/ dfo_bageshwar@rediffmail.com

दूरभाष एवं फ़ैक्स नं०: 05963-220249 वन मित्र काल सेटर- 9208008000

पत्रांक A 392 / 12-1-2
सेवा में,

बागेश्वर

दिनांक : 12/05/2022

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।

विषय - जनपद बागेश्वर में जिला योजना के अन्तर्गत काण्डा मन्तोली का विस्तार तल्ला तिपोला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 2.413 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या-35046/2018)

सन्दर्भ- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून का पत्रांक 120/PF/UK/ROAD /35046/2018, दिनांक 12.07.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है, कि उक्त प्रस्ताव में जो आपत्तियाँ लगायी गयी है प्रस्तावक विभाग द्वारा बिन्दुवार निराकरण कर प्रस्ताव अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

बिन्दु सं० 1	प्रस्ताव में संलग्न विषयसूची अंकित नहीं है, पृष्ठ सं० के अनुसार प्रेषित करें, कृपया सही सूचना अंकित की जाय।	प्रस्तावक विभाग द्वारा विषयसूची 4 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2	प्रस्ताव में भाग-1, भाग-2 एवं भाग-3 को तैयार कर तीन मूल प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित करें, ताकि सूचना तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित की जा सकें।	भाग-1 व भाग-2 की चार प्रतियों संलग्न है, तथा भाग-3 आपके स्तर से पूर्ण की जानी है।
3	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र सं० 44 में प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अप्रेक्षित है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रपत्र सं० 44 को पूर्ण कर 4 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
4	प्रस्ताव में संलग्न क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वर्ष 2020-21 सी०ए० की दरें लगाई गई है, कृपया सी०ए० की वर्तमान दर 2021-2022 के अनुसार प्राक्कलन प्रस्ताव में संलग्न करें	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सी०ए० की वर्तमान दर के अनुसार प्राक्कलन बनाकर कर 4 प्रतियों में प्रेषित की जा रही है।
5	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र संख्या 7 में एस०आई० आर० में तिथि अंकित नहीं है।	प्रपत्र संख्या 7 में एस०आई० आर० में तिथि अंकित कर 4 प्रतियों में प्रेषित की जा रही है।

भवदीय:

(हिमांशु बघात्री)

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर